MPDCGRPI-1,00,000 Forms

MJCR/1262/2022 CNR- MP12050015142022

II—155

ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

MJCR/183/2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

अंतरिम दिनांक 17.10.2022

इस न्यायालय के मूल प्रकरण कमांक आर.सी.टी. 464/2020 आरक्षी आरक्षी केंद्र खालवा वि. संतोष आदि अंतर्गत धारा 294, 323, 427, 506, 34 भाग–दो भादसं में आरोपीगण पिता शांतिलाल पिता रामप्रसाद उम्र–42 वर्ष निवासी–सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा, 02 संतोष पिता रामप्रसाद उम्र–40 वर्ष निवासी–सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा, 03 मीना पति राजेश उम्र–25 साल निवासी–सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा द्वारा प्रत्येक की प्रस्तुत प्रतीज्ञा पत्र राशि 10,000–10,000/–दस–दस हजार रूपये का निष्पादन किया गया था, किंतु आरोपीगण की अकारण अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत प्रतिज्ञा पत्र जप्त कर लिया गया है। आरोपीगण से प्रतिज्ञा पत्र की जप्ति राशि की वसूली के संबंध में धारा 446 दंप्रसं के तहत विधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है।

प्रकरण विधिक आपराधिक पंजी एमजेसीआर में दर्ज हो।

आरोपीगण को मुचलका जप्ती राशि की वसूली कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 05.01.2023 को पेश हो।

17.10.2022

(जयप्रताप चिडार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद,

राजेश
मीना
संतोष

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्चः—

आरोपीगण शांतिलाल पिता रामप्रसाद उम्र—42 वर्ष निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा, 02 संतोष पिता रामप्रसाद उम्र—40 वर्ष निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा, 03 मीना पति राजेश उम्र—25 साल निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा की ओर से श्री धमेंद्र नामदेव अधिवक्ता ने धारा 446 दंप्रसं का लिखित जवाब देते हुये निवेदन किया कि, आरोपीगण माननीय न्यायालय के समक्ष रूपये 200—200—200/—रूपये कुल 600की राशि जमा करने हेतु तत्पर है। अतः आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध विधिक प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपीगण ने न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुये बिना सूचना के अकारण अनुपस्थित रहे है और जमानत आदेश का पालन नहीं किया गया है, किंतु आरोपीगण द्वारा अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है, वह सद्भाविक प्रतीत होता है। अतः बाद विचार आदेशित किया जाता है कि आरोपीगण की ओर से मुचलका जप्ती राशि रूपये में से प्रत्येक की रूपये 200—200—200/—कुल 600 रूपये जमा करे तो शेष मुचलका राशि माफ की जाती है।

01. इसी समय आदेशानुसार आरोपी शांतिलाल पिता रामप्रसाद उम्र—42 वर्ष निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा द्वारा मुचलका जप्ती की राशि रूपये 200/—को साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि स्क्रोल नंबर 93183 एवं चालान नंबर **051/9999999/0070/10/22/012812 दिनांक 17.10.2022** पर अदा की गई।

02. इसी समय आदेशानुसार आरोपी संतोष पिता रामप्रसाद उम्र—40 वर्ष निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा द्वारा मुचलका जप्ती की राशि रूपये 200/—को साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि स्क्रोल नंबर 93060 एवं चालान नंबर **051/9999999/0070/10/22/012771 दिनांक 17.10.2022** पर अदा की गई।

03. इसी समय आदेशानुसार आरोपी मीना पति राजेश उम्र—25 साल निवासी—सावलीखेडा तहसील खालवा जिला खण्डवा द्वारा मुचलका जप्ती की राशि रूपये 200/—को साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि स्क्रोल नंबर 93229 एवं चालान नंबर **051/9999999/0070/10/22/012855 दिनांक 17.10.2022** पर अदा की गई।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण में पूर्व पेशी तारीख 05.01.2023 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

17.10.2022

(जयप्रताप चिडार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद,
जिला खण्डवा म.प्र.